तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.12/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी गोविन्द पुत्र बाबराराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, आजाद चौक, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी के वकील श्री धनाराम देवासी उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.3.2023 को फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, आजाद चौक, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी गोविन्द पुत्र बाबराराम जी देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) का नमूना संख्या S-2056 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./585/Act/2023/629 दिनांक 27.3.2023 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 30.7.2024 को प्रतिवादी गोविन्द एवं उसके अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रतिवादी के अधिवक्ता व प्रतिवादी को आज ही सुना गया, जिन्होनें यह व्यक्त किया कि यह प्रतिवादी का प्रथम अपराध है, इसलिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 12.3.2023 को फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, आजाद चौक, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी गोविन्द पुत्र बाबराराम जी देवासी से फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, आजाद चौक, अजारी में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) के 50 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 180 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 180 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.12/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) के नमूना संख्या S-2056 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./585/Act/2023/ 629 दिनांक 27.3.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) के क्रय का बिल प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी गोविन्द पुत्र बाबराराम जी देवासी ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Dahi Made From Toned Milk (Miss Milky Dahi) के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रतिवादी गोविन्द पुत्र बाबराराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, आजाद चौक, अजारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:34 IST
Reason: SelfAttested